बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994
(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... बी॰ एस॰ एम॰ एफ॰ सी॰, / पटना दिनांक: .....

स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 में वर्णित 15 ट्रेडो में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-08.06.2017, 10.06.17 एवं 12.06.17 को चयनित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा सुपौल जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण / दस्तावेज निष्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 03 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतेय के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र.सं॰	Appl_Name / F / H_Name & Address	Bank A/c No. & IFSC Code Of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	6/20	MD AURANJEEB SIDDIQUE , S/o- LATE MD MAZHARUL HAQUE , Vill.-BIRPUR, Block-BASANTPUR, PS-BIRPUR, PO-BIRPUR, Distt.-SUPAUL-854340	A/c No.:- 31224147542 SBIN0003265	READYMADE CLOTH DUKAN	200000	1000	199000
2.	28/103	PRAVEJ ALAM, S/o- AKHTAR HUSAIN, Vill.-PARSA, Block-SUPAUL, PS-SUPAUL, PO-PIPRAKHURD, Distt.-SUPAUL-852131	A/c No.:- 3268842259 CBIN0280062	FURNITURE SHOP	200000	1000	199000
3.	45/197	MD UMAR , S/o- MD SULEMAN , Vill.-PATHRA , Block-PIPRA , PS-PIPRA , PO-PATHARA, Distt.-SUPAUL-852131	A/c No.:- 33803861 24 CBIN0282445	VEGETABLE DUKAN	200000	1000	199000
				TOTAL	600000	3000	597000

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-
प्रबंध निदेशक
दिनांक:- 02/09/19

ज्ञापांक:- 18

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सुपौल / ऋण शाखा / ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा /
प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी कोशी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक 2/9/19

ह0,